



राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर
पंत कृषि भवन, जयपुर-302005

क्रमांक: 8796-8808

दिनांक: 20/3/15

परिपत्र

भारत सरकार के परिपत्र संख्या 13-45/2014-15 DVI दिनांक 09.10.2014 की पालनानुसार गेहूँ फसल में करनाल बन्ट रोग की रोकथाम हेतु Propiconazole 25 EC @ 0.1% का छिड़काव प्रमाणीकरण हेतु अनिवार्य है। इस क्रम में क्षेत्र निरीक्षण के समय बीज उत्पादक कृषक द्वारा उपरोक्त रसायन का उपयोग निर्धारित दर से किया गया है, कि पुष्टि रसायन के मूल क्रय बिल का अवलोकन कर सुनिश्चित करें व निरीक्षण प्रपत्र में कृषक द्वारा यह अंकित करवाये कि उसने उपरोक्त रसायन का छिड़काव निर्धारित मात्रा के अनुसार कर लिया है।

Sdr

(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 समस्त इकाई प्रभारी, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था / समस्त तकनीकी अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।

Lm

(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक